चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 08.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 08.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में श्रवण मास के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार तथा उनकी टीम द्वारा कस्बा पहाड़ी स्थित पानी की टंक के पास से अभियुक्त 1.गया प्रसाद वर्मा पुत्र राजकुमार 2. मोतीलाल प्रजापति पुत्र चुनबाद 3.कल्लू वर्मा पुत्र रामशरण 4.तीरथ पुत्र विशम्भर 5. कैलाश पुत्र महावीर निवासीगण कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 1500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 380/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 13 जुआ अधिनियन के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1.मालफड़ 1500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

2.जामातलाशी 380/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना पहाड़ी
2. आरक्षी विनोद
3. आरक्षी सचिन यादव
4. आरक्षी दीपक
5. आरक्षी आशीष यादव

(4). जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु रिपोर्ट की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है। माह जुलाई 2024 में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों एवं उनके गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में जनपद चित्रकूट पुलिस को उ0प्र0 के सभी 75 जिलों में से प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी आईजीआरएस पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव प्रभारी आईजीआरएस द्वारा उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों-निर्देशों का पालन कराते हुये कड़ी मेहनत की गयी । माह जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी/जनसेवा संपूर्ण समाधान दिवस/थाना दिवस में जनपद पुलिस द्वारा सभी संदर्भों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। आईजीआरएस शाखा में नियुक्त आरक्षी मानवेन्द्र सिंह एवं महिला आरक्षी अनीशा बानो, महिला आरक्षी मीरा ने तथा जनपद के समस्त थानों/क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में आईजीआरएस पोर्टल का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग की गयी एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी जिस कारण से जनपद चित्रकूट को जनसुनवाई के मामलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में जनपद चित्रकूट के सभी 12 थानों में से 09 थानों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । प्राप्त संदर्भों में कोई भी असंतुष्ट फीडबैक नहीं है ।

(5). आज दिनाँक 08.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में महिलाओं एवं बालकों से सम्बन्धित मुकदमों के विवेचकों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त विवेचकों का लम्बित विवेचाओं का समय से निस्तारित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अपहरण के मुकदमों से सम्बन्धित पीड़िताओं का बरामद कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी

हेतु निर्देशित किया गया। यदि किसी भी मुकदमें में सर्विलांस की मदद की कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल रिपोर्ट भेंजे सर्विलांस सेल द्वारा आप सभी को पूर्ण मदद की जायेगी तथा इसके अतिरिक्त किसी भी विवेचना निस्तारण में अन्य किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो तत्काल बतायें।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर नम्बर 179/2020 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राममिलन उर्फ मिल्लू यादव पुत्र सुक्खा यादव निवासी खजुरिहा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 295/2015 धारा 279,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामसजीवन पुत्र रामकिशोर निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 1500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा चोरी की 02 घटनाओं का खुलासा करते हुये 01 चोर को चोरी के ई-रिक्शा व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 02.08.2024 को वादी श्री चद्रपाल पुत्र राजेश निवासी सभापुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि अज्ञात व्यक्तिय ने उनके साथ मारपीट कर उसका ई-रिक्शा रजि0 नं0 यूपी0 96 टी 5749 चोरी कर दिया है, इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 497/2024 धारा 303(2),115(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार दिनाँक 07.08.2024 को वादी श्री अर्जुन प्रसाद पुत्र गेंदालाल निवासी कुली तलैया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि उनकी मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0नं0 यूपी0 96 के 5538 अज्ञात चोर ने चोरी कर ली है, इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 507/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी ने चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह को घटनाओं के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनकी अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 08.08.2024 को खोह रेलवे क्रासिंग से लौढ़िया बुजुर्ग मार्ग

पर अभियुक्त निखिल कुमार पुत्र राजू वर्मा निवासी कर्वी माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त लाल रंग के ई-रिक्शा रजि0नं0 यूपी0 96 टी 5749 में एक मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0नं0 यूपी0 96 के 5538 लाद कर ले जा रहा था। अभियुक्त से कड़ाई से पूंछतांछ करने पर बताया गया कि उसके द्वारा स्टेशन ई-रिक्शा बुक करके मण्डी की तरफ ले गया जहां पर किराये के लेन-देन को लेकर ई-रिक्शा से मारपीट हो गयी फिर वह जाकर शराब पिया तथा वापस मण्डी आया तो देखा कि ई-रिक्शा चालक नशे में ई-रिक्शा के बगल में पड़ा था रात्रि में सुनसान था मौका पाकर मैं वहां से ई-रिक्शा चोरी करके भाग गया था तथा यह मोटरसाइकिल मैंने कपसेठी से चोरी की थी।

चोरी का ई-रिक्शा व चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त निखिल कुमार पुत्र राजू वर्मा निवासी कर्वी माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1.चोरी का ई-रिक्शा रजि0नं0 यूपी0 96 टी 5749

2.चोरी की मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0नं0 यूपी0 96 के 5538

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली श्री राजीव कुमार सिंह

2.आरक्षी शुभम शर्मा

3.आरक्षी संजय पाल